

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक : शिविरा-मा/संस्था/बी-1/45001/प्रधानाध्यापक/डी.पी.सी.2017-18/2017 दिनांक 31-08-2017 एवं शिविरा-मा/संस्था/बी-1/45002/प्रधानाचार्य/डीपीसी 2017-18/2017 दिनांक 31.8.17 द्वारा क्रमशः प्रधानाध्यापक एवं समकक्ष तथा प्रधानाचार्य एवं समकक्ष के पदोन्नति उपरान्त पदस्थापन आदेश प्रसारित किये गये थे, विभाग द्वारा जारी उक्त आदेश में दिनांक : 09.09.2017 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे।

प्रधानाचार्य उमावि/प्रधानाध्यापक मावि की कार्यभार ग्रहण किये जाने की अवधि में अभिवृद्धि चाहे जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों के आधार पर निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि/प्रधानाध्यापक-मावि को तदपदोन्नत स्थान पर कार्यग्रहण किये जाने की अवधि में (कॉलम संख्या-04 में अंकितानुसार) निम्नानुसार अभिवृद्धि सम्बन्धी स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम कार्मिक (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान	कार्यग्रहण अभिवृद्धि (दिनांक..... तक)
1	सीमा राठीड	लीलीया, रियां जिला नागौर	15 दिवस
2	चम्पादेवी	राजोद, नागौर	15 दिवस
3	दिनेश स्वर्णकार	खातोली, ईटावा, कोटा	15 दिवस

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार रहेंगी।

आज्ञा से


निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1,2/प्रधाना.-प्र.अ./कार्यग्रहण अभिवृद्धि/2017 दिनांक : 04.10.17
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, कार्यालय, राज्यामंत्रो(स्वतंत्र प्रभार) प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
3. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।
4. सम्बन्धित संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, राउमावि/रामावि को पालनार्थ।
5. संबंधित शिक्षा अधिकारी।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)